अतिमहत्वपूर्ण

संख्या– 6057 / नौ–5–2010–355सा / 2009टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 2010

विषय : जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी व यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के साथ–साथ अन्य योजनाओं में स्वीकृत परियोजनाओं का कियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या–6252 / नौ–5–2009–355सा / 09टीसी दिनांक 11 सितम्बर, 2009, तथा संख्या–4218 / नौ–5–2010–355सा / 09टीसी दिनांक 10 मई, 2010 तथा संख्या–4218(2) / नौ–5–2010–355सा / 09टीसी दिनांक 16 जुलाई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जेएनएनयूआरएम के यूआईजी व यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श में मण्डल की स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन की मण्डल स्तर पर समीक्षा कर प्रत्येक माह शासन एवं स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय) को रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ यह भी अपेक्षा की गयी है कि विभिन्न परियोजनाओं के कियान्वयन यथा– सीवर लाइन डाला जाना, पेयजलापूर्ति हेतु पाइप लाइन डाला जाना आदि को इस दृष्टिकोण से भी भौतिक निरीक्षण किया जाय कि परियोजनाओं के कियान्वयन से आम जनता को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के साथ–साथ अन्य योजनाओं में विभिन्न विभागों यथा दूरसंचार, लोक निर्माण, ऊर्जा, आदि द्वारा विभिन्न नगरों में कराए जा रहे कार्यो का भी भौतिक निरीक्षण किया जाय जिससे आम जनता को असुविधा न हो। इसका विशेष ध्यान रखा जाय कि विभिन्न विभागों द्वारा नगरों में कराये जा रहे कार्यो से आम जनता के दैनिक कियाकलाप प्रभावित न हों।

3– यदि किसी नगर में खुदाई आदि का कार्य कराया जाना हो तो इसकी पूर्व सूचना संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त तथा नगर के नगर आयुक्त को दी जाय तथा उनकी सहमति प्राप्त होने पर ही कार्य सम्पादित कराये जांय। संबंधित नगर के नगर आयुक्त विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे कार्यों के कारण सड़क खुदाई व तत्सम्बन्धी मरम्मत के कार्यो का समन्वय करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित सड़कों की खुदाई हेतु एक समय सारिणी रहे ताकि मरम्मत का कार्य तदनुसार किया जा सके।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–6057 (1) / 9–5–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :–

1. निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। (द्वारा जिलाधिकारी)
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।